The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 5 | December 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु मनरेगा की प्रभावशीलता: एक नीतिगत समीक्षा

डॉ. कुसुम कुमारी

सहायक प्राध्यापक (अतिथि प्राध्यापक), अर्थशास्त्र विभाग, एस.एस. कॉलेज, जहानाबाद, बिहार

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 19/12/2025
स्वीकृति तिथि: 26/12/2025
प्रकाशनतिथि: 31/12/2025

मुख्य शब्द : मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक समावेशन, परिसंपत्ति निर्माण, नीतिगत समीक्षा।

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत की अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार नीति का प्रमुख आधार है। यह अध्ययन ग्रामीण रोजगार सृजन, आय सुरक्षा, सामाजिक समावेशन, परिसंपत्ति निर्माण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में मनरेगा की प्रभावशीलता की नीतिगत समीक्षा करता है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम ने कृषि के अवकाश काल में रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं तथा वंचित समुदायों की श्रम भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय मजदूरी पर सकारात्मक दबाव बनाने और जल, भूमि तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव को रोजगार की अपर्याप्त उपलब्धता, मजदूरी भुगतान में विलंब, स्थानीय संस्थागत क्षमता की कमी, डिजिटल बहिष्करण, कमजोर सामाजिक अंकेक्षण और राज्यों के बीच असमान कार्यान्वयन सीमित करते हैं। समीक्षा का निष्कर्ष है कि समयबद्ध वित्तपोषण, मांग का सही पंजीकरण, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण, पंचायतों की तकनीकी क्षमता, डेटा-आधारित योजना और कृषि व जलवायु-अनुकूल कार्यों के साथ बेहतर समन्वय कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं।

1. प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देश की बड़ी जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि तथा उससे संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। यद्यपि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, फिर भी कृषि की मौसमी प्रकृति, सीमांत एवं लघु जोतों की अधिकता, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता तथा सीमित गैर-कृषि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्परोजगार जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। इन परिस्थितियों में ग्रामीण रोजगार केवल आय अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक स्थिरता तथा समावेशी विकास का प्रमुख आधार बन जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से अनेक रोजगारोन्मुख कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रारंभिक योजनाओं में रोजगार सृजन को ग्रामीण विकास के एक घटक के रूप में देखा गया, परन्तु समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार को अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी सोच के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अधिनियमित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी प्रदान की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा महिलाओं एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है।

मनरेगा को विश्व की सबसे बड़ी अधिकार-आधारित सार्वजनिक रोजगार योजनाओं में से एक माना जाता है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ पंचायतों की भूमिका को सशक्त बनाने, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल संरक्षण, भूमि विकास, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। साथ ही, संकट एवं आर्थिक मंदी के समय यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करती रही है। यद्यपि मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, तथापि इसके क्रियान्वयन से संबंधित अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। समय पर रोजगार उपलब्ध न होना, मजदूरी भुगतान में विलंब, प्रशासनिक अक्षमताएँ, पारदर्शिता एवं जवाबदेही से जुड़े प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण की सीमाएँ तथा विभिन्न राज्यों के मध्य कार्यान्वयन में असमानताएँ

योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मनरेगा का मूल्यांकन केवल रोजगार सृजन के आधार पर न करके उसके व्यापक आर्थिक, सामाजिक एवं नीतिगत प्रभावों के संदर्भ में किया जाए।[1]

2. मनरेगा का वैचारिक एवं नीतिगत आधार

मनरेगा भारत की ग्रामीण रोजगार नीति का एक अधिकार-आधारित ढाँचा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, पारदर्शिता और सहभागी शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। अन्य रोजगार योजनाओं के विपरीत, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिससे यह एक कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ-साथ उत्तरदायित्व आधारित सार्वजनिक नीति का भी उदाहरण बनता है। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कृषि उत्पादकता में सुधार तथा सामाजिक समावेशन को एक साथ प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में माँग-आधारित रोजगार व्यवस्था, कानूनी रोजगार गारंटी, ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका, महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आधारित मजदूरी भुगतान शामिल हैं। इन विशेषताओं के कारण मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण शासन और विकास का एक समन्वित मॉडल बन गया है।[2]

मनरेगा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका अधिकार-आधारित स्वरूप है। अधिनियम के अनुसार पंजीकृत ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग कर सकता है और निर्धारित अवधि के भीतर कार्य उपलब्ध कराना प्रशासन की वैधानिक जिम्मेदारी है। यदि समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो पात्र परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था रोजगार को सरकारी अनुदान नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार के रूप में स्थापित करती है। इसके साथ ही जॉब कार्ड, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएँ, शिकायत निवारण तंत्र तथा सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान प्रशासनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। यही विशेषताएँ मनरेगा को अन्य सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों से अलग बनाती हैं। इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन तथा ग्राम पंचायत के समन्वित प्रयासों से किया जाता है। केंद्र सरकार नीति निर्माण, वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर की निगरानी करती है, जबकि राज्य सरकारें कार्यक्रम के प्रशासनिक संचालन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाती हैं। जिला एवं प्रखंड स्तर पर समन्वय और तकनीकी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाता है। ग्राम

पंचायत मनरेगा की प्रमुख कार्यान्वयन इकाई है। यह जॉब कार्ड जारी करने, कार्यों की योजना बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी निभाती है। ग्राम सभा कार्यों की प्राथमिकता तय करती है तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से कार्यक्रम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली, भू-स्थानिक सूचना प्रणाली तथा आधार आधारित भुगतान प्रणाली के उपयोग से कार्यक्रम के संचालन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया गया है।[3]

3. ग्रामीण रोजगार सृजन में मनरेगा की प्रभावशीलता

मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उन परिवारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं जिनके पास नियमित आय का स्रोत नहीं है। कृषि कार्य समाप्त होने के बाद या प्राकृतिक आपदाओं के समय यह कार्यक्रम वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण श्रमिकों की आय को बनाए रखने में सहायता करता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से श्रमिकों को कार्य की खोज में अन्य क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क निर्माण तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से स्थानीय विकास और रोजगार सृजन एक साथ सुनिश्चित होता है। ग्रामीण भारत में कृषि मुख्यतः वर्षा और फसल चक्र पर आधारित है, जिसके कारण वर्ष के अनेक महीनों में श्रमिकों के लिए पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में मनरेगा कृषि के अवकाश काल में रोजगार प्रदान करके मौसमी बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में निरंतरता बनी रहती है और उन्हें संकट की परिस्थितियों में वैकल्पिक रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों तथा सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है।[4]

मनरेगा ने ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी दर ने कई क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक संदर्भ बिंदु का कार्य किया है। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को भी प्रतिस्पर्धी मजदूरी प्रदान करनी पड़ी, जिससे श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि हुई। साथ ही ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होने से श्रम बाजार में असमान शक्ति संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला। हालांकि विभिन्न राज्यों में मजदूरी भुगतान की समयबद्धता और दरों में अंतर के कारण इसका प्रभाव समान नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से जीविका की खोज में होने वाले मजबूरन प्रवासन में कमी आई है। विशेषकर कृषि के निष्क्रिय मौसम में मनरेगा ने श्रमिकों को अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया, जिससे परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विघटन कम हुआ। स्थानीय रोजगार से ग्रामीण समुदायों में आर्थिक गतिविधियाँ बनी रहती हैं और परिवारों की

सामाजिक संरचना भी अधिक स्थिर रहती है। यद्यपि दीर्घकालिक रोजगार के लिए प्रवासन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी अल्पकालिक और संकटजन्य प्रवासन को कम करने में मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

मनरेगा का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिक, गरीब परिवार तथा ग्रामीण महिलाएँ इस कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थी हैं। महिलाओं की व्यापक भागीदारी ने उनकी आय, वित्तीय समावेशन तथा घरेलू निर्णय क्षमता को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार मिलने से उनकी आर्थिक भागीदारी और सामाजिक समावेशन में वृद्धि हुई है। इस प्रकार मनरेगा ने केवल रोजगार सृजन ही नहीं किया, बल्कि ग्रामीण समाज में अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण विकास को भी प्रोत्साहित किया है।[5]

4. ग्रामीण आजीविका सुरक्षा एवं समावेशी विकास में मनरेगा की भूमिका

ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित आय का अभाव आर्थिक असुरक्षा का प्रमुख कारण है। मनरेगा इस समस्या के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे परिवारों को कृषि पर पूर्ण निर्भर नहीं रहना पड़ता। कृषि के अवकाश काल, प्राकृतिक आपदाओं अथवा आय में कमी की स्थिति में मनरेगा वैकल्पिक रोजगार का अवसर प्रदान करता है। इससे परिवारों की आय में निरंतरता बनी रहती है और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। नियमित रोजगार की उपलब्धता ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक अनिश्चितता को कम करती है तथा उन्हें सम्मानजनक आजीविका का आधार प्रदान करती है।[6]

ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी उपभोग क्षमता और आर्थिक स्थिरता में सुधार होता है। मजदूरी से प्राप्त आय का उपयोग परिवार भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि निवेश तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए करते हैं। इससे ऋण पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ आकस्मिक आर्थिक संकटों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जल संरक्षण, सिंचाई, भूमि विकास एवं अन्य उत्पादक परिसंपत्तियाँ कृषि उत्पादन में सुधार कर दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। इस प्रकार मनरेगा तात्कालिक आय सहायता के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को भी मजबूत करता है।[7]

ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित एवं सुलभ रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यस्थल गाँव के निकट होने से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है और उन्हें परिवार की आय में प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर मिला है। बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान ने महिलाओं की वित्तीय पहुँच को बढ़ाया तथा आर्थिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। नियमित आय प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के कल्याण से जुड़े निर्णयों में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। इस प्रकार मनरेगा महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।[8]

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थी हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से इन समूहों की आय में वृद्धि होती है तथा रोजगार प्राप्त करने में सामाजिक और भौगोलिक बाधाएँ कम होती हैं। समान मजदूरी और खुले पंजीकरण की व्यवस्था ने सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में उन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है जो सामान्यतः रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।[9]

ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से संकट की परिस्थितियों में परिवारों को आय का आधार मिलता है और मजबूरन पलायन की आवश्यकता कम होती है। नियमित मजदूरी से भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच बेहतर होती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार आता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण से कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण अवसंरचना को दीर्घकालिक लाभ मिलता है। इस प्रकार मनरेगा केवल रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और समग्र ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने वाली एक व्यापक सार्वजनिक नीति के रूप में स्थापित होता है।[10]

5. मनरेगा के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

- **रोजगार की अपर्याप्त उपलब्धता:** यद्यपि मनरेगा प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है, परन्तु व्यवहार में अनेक परिवारों को निर्धारित अवधि के बराबर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। कई क्षेत्रों में कार्यों की सीमित संख्या, समय पर स्वीकृति का अभाव तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण रोजगार की मांग पूरी नहीं हो पाती।

परिणामस्वरूप श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार या प्रवासन का सहारा लेना पड़ता है। इससे कार्यक्रम का आजीविका सुरक्षा संबंधी उद्देश्य आंशिक रूप से प्रभावित होता है।

- **मजदूरी भुगतान में विलंब:** मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में मजदूरी भुगतान में होने वाला विलंब है। कार्य पूरा होने के बाद भुगतान प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी, तकनीकी बाधाएँ तथा वित्तीय स्वीकृति में विलंब के कारण श्रमिकों को समय पर मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती। चूँकि अधिकांश लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होते हैं, इसलिए भुगतान में देरी उनके दैनिक जीवन, उपभोग तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था कार्यक्रम की विश्वसनीयता और श्रमिकों की भागीदारी दोनों के लिए आवश्यक है।

- **प्रशासनिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ:** मनरेगा का सफल संचालन प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थागत क्षमता पर निर्भर करता है। अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, तकनीकी कर्मचारियों का अभाव, कार्यों की योजना एवं निगरानी में कमजोर समन्वय तथा अभिलेख प्रबंधन की समस्याएँ कार्यक्रम की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता सभी राज्यों में समान नहीं है, जिसके कारण कार्यों के चयन, क्रियान्वयन और निगरानी में अंतर दिखाई देता है। संस्थागत दक्षता में सुधार कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है।

- **पारदर्शिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार:** मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं। कार्यों के चयन, उपस्थिति अभिलेख, मजदूरी भुगतान तथा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। यदि निगरानी तंत्र प्रभावी न हो, तो संसाधनों का उपयोग अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। इसलिए डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा नियमित निरीक्षण जैसी व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- **सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र की सीमाएँ:** सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा की उत्तरदायित्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी करना है। किन्तु अनेक क्षेत्रों में सामाजिक अंकेक्षण नियमित रूप से आयोजित नहीं हो पाता या उसमें जनभागीदारी सीमित रहती है। इसी प्रकार शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता भी सभी राज्यों में समान नहीं है। शिकायतों के समयबद्ध समाधान का अभाव लाभार्थियों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सामाजिक अंकेक्षण को अधिक स्वतंत्र, नियमित और सहभागी बनाना आवश्यक है।

- **राज्यों एवं क्षेत्रों के मध्य कार्यान्वयन में असमानताएँ:** मनरेगा के क्रियान्वयन में राज्यों एवं जिलों के बीच उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में योजना का प्रभावी संचालन, समयबद्ध भुगतान, बेहतर परिसंपत्ति निर्माण तथा उच्च श्रमिक सहभागिता देखने को मिलती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, स्थानीय संस्थागत क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक दक्षता इन असमानताओं को प्रभावित करती हैं। इन क्षेत्रीय अंतर को कम करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण तथा परिणाम-आधारित निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।[11]

6. मनरेगा की नीतिगत समीक्षा

- **वर्तमान नीति एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन:** मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। विशेष रूप से आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं तथा कृषि के निष्क्रिय मौसम में यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों के लिए आय सुरक्षा का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में रोजगार उपलब्धता, मजदूरी भुगतान, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। वर्तमान नीति का मूल्यांकन यह संकेत देता है कि कार्यक्रम की मूल संरचना प्रभावी है, किन्तु इसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।[12]

- **डिजिटल सुशासन एवं ई-गवर्नेंस की भूमिका:** पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के संचालन में डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग हुआ है। ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली, जियो-टैगिंग तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाओं ने कार्यों की निगरानी, वित्तीय प्रबंधन और भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यों की प्रगति, व्यय तथा रोजगार संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा तकनीकी दक्षता की कमी वाले क्षेत्रों में इन प्रणालियों का प्रभाव अभी भी सीमित है। इसलिए डिजिटल सुशासन के साथ स्थानीय क्षमता निर्माण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

- **जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की रणनीतियाँ:** मनरेगा की प्रभावशीलता प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। इसके लिए कार्यों की स्वीकृति, मजदूरी भुगतान, वित्तीय व्यय तथा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को स्पष्ट और सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए। नियमित निरीक्षण, स्वतंत्र मूल्यांकन, वास्तविक समय की निगरानी तथा डिजिटल अभिलेखों का उपयोग प्रशासनिक उत्तरदायित्व को मजबूत कर सकता है।

इसके साथ ही समयबद्ध भुगतान, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा सूचना तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने से कार्यक्रम पर लाभार्थियों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।[13]

- **सामाजिक अंकेक्षण एवं जनभागीदारी का सशक्तीकरण:** सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा की एक विशिष्ट विशेषता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम की निगरानी में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना है। प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण से कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शिता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व में सुधार होता है। इसके लिए ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों की कार्यक्षमता तथा शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। जब स्थानीय समुदाय योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब कार्यक्रम की पारदर्शिता और सामाजिक स्वामित्व दोनों में वृद्धि होती है।[14]

- **पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका:** मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत कार्यों की पहचान, योजना निर्माण, रोजगार उपलब्ध कराने तथा निगरानी की मुख्य इकाई है। पंचायत राज संस्थाओं को पर्याप्त तकनीकी सहायता, प्रशिक्षित मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन क्षमता उपलब्ध कराकर कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। जिला और प्रखंड स्तर के प्रशासन को भी पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध स्वीकृति, तकनीकी मार्गदर्शन तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। मजबूत स्थानीय संस्थाएँ मनरेगा को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बना सकती हैं।[15]

7. भविष्य की संभावनाएँ एवं नीतिगत सुझाव

- **मनरेगा का कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से एकीकरण:** मनरेगा के कार्यों को कृषि, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, भूमि सुधार तथा जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसी गतिविधियों से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जाना चाहिए। इससे निर्मित परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ेगी और कृषि उत्पादकता में दीर्घकालिक सुधार होगा।

- **हरित रोजगार (Green Employment) एवं जलवायु-अनुकूल कार्य:** भविष्य में वृक्षारोपण, कार्बन अवशोषण, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु-अनुकूल ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी।

- **कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता से समन्वय:** मनरेगा को ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्वरोजगार योजनाओं के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी, गैर-कृषि रोजगार के अवसर विकसित होंगे तथा दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

- **डिजिटल निगरानी एवं डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली:** भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), जियो-टैगिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण तथा वास्तविक समय के डेटा का उपयोग कार्यों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बना सकता है। डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना निर्माण में सहायक होगी।

- **रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं उत्पादक परिसंपत्तियों पर बल:** भविष्य की नीति का उद्देश्य केवल रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए जो कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण अवसंरचना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को स्थायी रूप से सुदृढ़ करें। इससे रोजगार और ग्रामीण विकास के बीच अधिक मजबूत संबंध स्थापित होगा।

8. निष्कर्ष

मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा तथा सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, महिलाओं तथा वंचित समुदायों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्रदान की है। इसके साथ ही जल संरक्षण, भूमि विकास तथा ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक विकास की आधारशिला भी मजबूत हुई है। नीतिगत दृष्टि से मनरेगा की सफलता केवल रोजगार उपलब्ध कराने में नहीं, बल्कि अधिकार-आधारित शासन, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, पारदर्शिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को संस्थागत रूप देने में भी निहित है। हालांकि समयबद्ध मजदूरी भुगतान, प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल समावेशन, सामाजिक अंकेक्षण तथा क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियों पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता बनी हुई है। भविष्य में मनरेगा को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित रोजगार, डिजिटल शासन तथा कौशल विकास के साथ एकीकृत करके इसे अधिक उत्पादक, टिकाऊ और परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है। इस दिशा में नीतिगत सुधार न केवल ग्रामीण रोजगार की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर, समावेशी और जलवायु-संवेदनशील ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करेंगे।

संदर्भ

1. अफ़्रीदी, एफ., मुखोपाध्याय, ए., एवं साहू, एस. (2012). *भारत में महिला श्रम बल भागीदारी एवं बाल शिक्षा: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव*. आईज़ेडए डिस्कशन पेपर, संख्या 6593. इंस्टीट्यूट फ़ॉर द स्टडी ऑफ लेबर (आईज़ेडए)।
2. आज़म, एम. (2012). *भारतीय रोजगार गारंटी योजना का श्रम बाज़ार के परिणामों पर प्रभाव: एक प्राकृतिक प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य*. आईज़ेडए डिस्कशन पेपर, संख्या 6548. इंस्टीट्यूट फ़ॉर द स्टडी ऑफ लेबर (आईज़ेडए)।
3. बाबू, वी. एस., धीराजा, सी., रजनी कंथ, जी., एवं रंगाचार्युलु, एस. (2014). *मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश–2013 पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)*. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. बनर्जी, ए., डुफ्लो, ई., इम्बर्ट, सी., मैथ्यू, एस., एवं पांडे, आर. (2020). *ई-गवर्नेंस, जवाबदेही एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में रिसाव: भारत में वित्तीय प्रबंधन सुधार से प्रायोगिक साक्ष्य. अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 12*(4), 39–72.
5. बर्ग, ई., भट्टाचार्य, एस., राजशेखर, डी., एवं मंजुला, आर. (2018). *क्या सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम संतुलित मजदूरी बढ़ा सकते हैं? भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से साक्ष्य. वर्ल्ड डेवलपमेंट, 103*, 239–254.
6. दास, यू. (2015). *भारत में लक्षित लाभार्थियों के चयन की सटीकता एवं राशनिंग: ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अध्ययन. ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडीज़, 43*(3), 361–378.
7. दास, यू., पॉल, ए., एवं शर्मा, एम. (2023). *कल्याणकारी कार्यक्रमों में भुगतान विलंब को कम करना: सूचना प्रसार हस्तक्षेप से प्रायोगिक साक्ष्य. वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू, 37*(3), 494–517.
8. डेनिंगर, के., एवं लियू, वाई. (2013). *भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कल्याण एवं गरीबी पर प्रभाव: आंध्र प्रदेश से साक्ष्य*. पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर संख्या 6543. विश्व बैंक।
9. द्रेज़, जाँ. (2023). *एम्बेडेड प्रयोगों के जोखिम. रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 28*, 2059–2071.
10. दत्ता, पी. (2014). *कार्य का अधिकार? बिहार में भारत की रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन.* ।
11. इम्बर्ट, सी., एवं पैप, जे. (2015). *सामाजिक कार्यक्रमों के श्रम बाज़ार पर प्रभाव: भारत की रोजगार गारंटी योजना से साक्ष्य. अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 7*(2), 233–263.
12. क्लोनर, एस., एवं ओल्डिगेस, सी. (2022). *भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कल्याणकारी प्रभाव. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 157*, 102848.

13. लियू, वाई., एवं बैरेट, सी. बी. (2013). *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गरीब-समर्थ लक्षित लाभ का विश्लेषण. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 48*(10), 46–53.

14. मासिएरो, एस., एवं मइओरानो, डी. (2017).. (2023). *सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में सुधार के सामान्य संतुलन प्रभाव: भारत से प्रायोगिक साक्ष्य. इकोनोमेट्रिका, 91*(4), 1261–1295.

15. *मुरलीधरन, के., निहाउस, पी., एवं सुखटणकर, एस. (2023). सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में सुधार के सामान्य संतुलन प्रभाव: भारत से प्रायोगिक साक्ष्य. इकोनोमेट्रिका, 91(4), 1261–1295*